

208
200
24

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी. 3-8 / 2015 / 3 / एक

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समरत विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
समरत रामागीय आयुक्त,
रागस्त विभागाध्यक्ष,
समरत कलेक्टर,
समरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997
के नियम 3(1) में संशोधन के संबंध में।

विषयांकित संबंध में म मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 3(1) में किये गये संशोधन के संबंध में जारी रामसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2015 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि।


(घनश्याम एम.मूलानी)

अवर सचिव

०/८

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक सी. 3-8 / 2015 / 3 / एक

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त जनरल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्डौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मंत्री / राज्यमंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्डौर / ग्वालियर / जबलपुर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
16. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अगिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समरत गान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(घनश्याम एम.मूलामी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

OIC